

**कार्यालय,
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
जलार प्रदेश सचनक।**

संख्या- इतिहास/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

सचनक दिनांक 15-8-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

इतिहास भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कानूनी कालेजियल ऑफ इन्जिनियरिंग नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा सत्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलार सचनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जलार, प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलार सचनक की सम्बद्धता में परिषद कार्यालय में बैठक संलग्न हुई। बैठक में तमिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्देवित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्रदानकरण/प्रवेश क्षमता बुद्धि अतिरिक्त अन्य गरी ल विचार कर्ते हु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता तमिति की बैठक को पर-2 में विस्तार इत कानूनी चतुर्वकन संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्तन करा गया। सम्बद्धता तमिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित शिक्षाओं इन कानूनी चतुर्वकन संघटित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलार सचनक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईए द्वारा उन्हें कथमात् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित चतुर्वकन/प्रवेश क्षमता की साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर तमिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को जलार सम्बद्धता तमिति की बैठक में किये गये चतुर्वकन निर्णय को अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलार सचनक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित कर्ते को कानूनी चतुर्वकन एवं अलग अलग प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	चतुर्वकन का नाम	पीठसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	100 डिग्रीज इंजिनियरिंग टूरा कानूनी ऑफ कानूनी विज्ञान कानूनी पेश, निरा तुलसीय कानूनी, पीठसीआईए	विज्ञान इन कानूनी	00	00

सम्बद्धता हेतु तर्क

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईए/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी कर्ते का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद सत्र 1882 एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1882, संश्लेषित विनियमकारी-2018 तथा अन्य निर्मित निर्णय एवं कर्ते को अनुपालन करनी तथा सुन्दर निर्धारित कर्ते द्वारा निर्धारित तुल्य हीन कानूनी चतुर्वकन हेतु सत्र 20,1882/00/- प्रविष्ट, जो कानूनी कानूनी चतुर्वकन हेतु पर-

(Handwritten mark)

Principal
Dr. B.R. Arora
Prada College of Pharmacy
Jalor

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार,

पत्रा सं. एनिएड/एनिएड/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक दिनांक 09/08/2021

सम्बद्धता पत्र

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी ब्यारनसिड और इण्डियन, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित का सं 2021-22 हेतु प्रथम राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। इस में समिति द्वारा का सं 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/संशोधन/सिद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए का सं 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा का सं 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4081-DRLB LAMBEDKAR Pooja COLLEGE OF PHARMACY MEDICAL COLLEGE 34-D NEAR GULAHARIA THANA VILL-KARMAHA, POST-HUNGIYA BAZAR, GORAKHPUR-273013			
क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई/सी/टी/ई/पी/सी/आई/ए द्वारा परिषद द्वारा का सं 2021-22	सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संलग्नक हेतु शर्तें

- संस्था एच-आई/सी/टी/ई/पी/सी/आई/ए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सीमेंटर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो तृतीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो तृतीय पाठ्यक्रमों/दो तृतीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समय पर वास्तव द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले वास्तविकताएं सम्भाले होंगी, और उपरान्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पत्र निर्धारण समिति द्वारा यदि का सं 2021-22 हेतु पत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रथम की नवीनतम दर लागू होगी।
- संस्था को 09/08/2021 प्रौद्योगिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में समुचित प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उपाय प्रवेश वास्तव के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था की समस्त-समय पर निर्मित वास्तविकताओं के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क वसूल करना होगा।
- संस्था को एच-आई/सी/टी/ई/पी/सी/आई/ए से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विधिविनियमों/अधिनियमों/वास्तविकताओं/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रौद्योगिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुक्त प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का

Principal
Dr. E.R. Anandha Medical College of Pharmacy
Gorakhpur

कार्यालय,

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविधपरिषद सम्बद्धता/2022/78/17

संख्या- दिनांक: 30/08/2022

1-समाख्यान पत्र

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता कुट्टि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4381-DR.B.R.LAMBEDKAR POOJA COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्टींग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वापस प्राप्त निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुमान कार्यावली किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गित शासनादेश के अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गित विधि/नियमों/अविनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

Principal
Dr. B.R. Anand Sir Pooja College of Pharmacy

(Signature)